मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १८ सन् २०१६.

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, २०१६

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम २०१६ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा १६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १६ की उपधारा (२) में, द्वितीय परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्,—

"परन्तु यह भी कि किसी सहकारी बैंक के परिसमापन का कोई आदेश या समझौता या ठहराव या समामेलन या पुनर्गठन की किसी योजना को स्वीकृत करने वाला कोई आदेश रिजर्व बैंक की लिखित में पूर्व अनुमति से ही किया जाएगा.".

धारा ६९-क का स्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ६९-क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

सहकारी बैंक का परिसमापन.

"६९-क. इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, रजिस्ट्रार, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४७) की धारा १३-घ में वर्णित परिस्थितियों में या अन्यथा ऐसा अपेक्षित किया जाए, किसी सहकारी बैंक के परिसमापन का तत्काल आदेश देगा.".

धारा ६९-ख का संशोधन.

४. मूल अधिनियम की धारा ६९-ख में,—

(एक) पार्श्व शीर्ष में, शब्द "बीमाकृत बैंक" के स्थान पर, शब्द "बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपबंध में दो बार आए शब्द "बीमाकृत बैंक" के स्थान पर, शब्द "बीमाकृत बैंक या अंतरिती बैंक" स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय रिजर्व बैंक ने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४७) की धारा २ (छ छ) के उपबंधों के आलोक में मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) को संशोधित करने का सुझाव दिया है. अतएव, अधिनियम को यथोचित रूप से संशोधित करने का विनिश्चय किया गया है.

२. प्रस्तावित संशोधन निम्नानुसार हैं:—

खण्ड २— किसी सहकारी बैंक के परिसमापन या समझौता या ठहराव या समामेलन या पुनर्गठन की किसी योजना को रिजर्व बैंक की लिखित में पूर्व अनुमति से ही स्वीकृत किए जाने का उपबंध प्रस्तावित किया गया है.

खण्ड ३— किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए एक मास की समय-सीमा का लोप किया गया है.

खण्ड ४— निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम को पुनर्भुगतान के लिए अंतरिती बैंक को भी सम्मिलित किया गया है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख : २२ जुलाई २०१६

विश्वास सारंग
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) से उद्धरण

* * * *

धारा १६ (२) कोई सोसायटी—

(ए/क) स्वयं को किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलित करके; या

(बी/ख) अपनी आस्तियों तथा दायित्वों को किसी अन्य सोसाइटी को पूर्णत: या भागत: अन्तरित करके; या

(सी/ग) स्वयं को को या अधिक सोसाइटियों में विभाजित करके; या

(डी/घ) स्वयं को दो किसी ऐसे वर्ग की सोसाइटी के, जिसका कि उद्देश्य सोसाइटी के उस वर्ग से तत्वत: भिन्न हो जिसके कि अधीन उसका वर्गीकरण इस अधिनियम के अधीन किया गया है, रूप में संपरिवर्तित करके

स्वयं को पुनर्गठित करने का विनिश्चिय उस प्रयोजन के लिये आयोजित किये गये विशेष साधारण सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित किये गये संकल्प द्वारा कर सकेगी :

परन्तु कोई भी ऐसा विनिश्चिय तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाये:

परन्तु यह और भी कि किसी सहकारी बैंक के मामले में, रजिस्ट्रार अपना अनुमोदन रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से ही देगा अन्यता नहीं.

धारा ६९-क इस अधिनियम में किसी प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, रजिस्ट्रार, यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऐसा अपेक्षित हो तो निक्षेप बीमा प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४७) की धारा १३-घ में वर्णित परस्थितियों में या अन्यथा, एक मास के भीतर, सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश देगा.

धारा ६९-ख जहां किसी ऐसे सहकारी बैंक का, जो कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४७) के अर्थ के अन्तर्गत बीमाकृत बैंक हो, परिसमापन कर दिया गया हो या जो समापनाधीन कर दिया गया हो और निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं के प्रति, उस अधिनियम की धारा १६ की उपधारा (१) के अधीन दायित्वाधीन हो गया हो, वहां निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम को उन परिस्थितियों में पुनर्भुगतान उस सीमा तक तथा उस रीति में किया जाएगा जो कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारण्टी निगम अधिनियम, १९६१ (१९६१ का ४७) धारा २१ में उपबंधित है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.